पत्रकारिता
Paper

classmate
Date 13/4/2025
Page 1

RTI (सूचना का अधिकार)

संविधान प्रदत्त इस अधिकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के रूप में भी जाना जाता है। नागरिकों को यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

अधिनियम का उद्देश्य:-

नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मजबूत करना।

अधिनियम के तहत अधिकार:-

कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है और उसे 30 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए। यदि सूचना किसी व्यक्ति की जिंदगी या निजी आजादी से जुड़ी हो, तो इन्हें 48 घंटों के अंदर मिलनी चाहिए।

अपील:-

यदि किसी को सूचना से जुड़ी ~~किसी~~ कोई शिकायत है, तो वह स्थानीय, राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है।

अधिनियम का महत्व:

यह अधिनियम नागरिकों को

सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर नजर रखने के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

अधिनियम की चुनौतियाँ :

i) जागरूकता की कमी :- एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि इसमें भाग लेनेवाले सभी प्रतिभागियों में से मात्र 15% ही RTI अधिनियम के बारे में जानते थे। सर्वेक्षण से यह बात भी सामने आयी थी कि अधिकतर लोगों को इस बारे में या तो मीडिया से पता चला था या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि RTI संबंधी जागरूकता को लेकर इसकी नोडल एजेंसी का कार्य काफी सीमित है।

ii) प्रदान की जानेवाली सूचना की खराब गुणवत्ता :- RTI दाखिल करनेवाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। आंध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 91% और 98% याचिकाकर्ताओं ने RTI के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की है। साथ ही कई याचिकाकर्ताओं ने अनावश्यक जानकारी प्राप्त होने की बात स्वीकार की है।

iii) समय पर सूचना प्राप्त न होना :- अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान करना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त सर्वेक्षण

में सामने आया कि सूचनाओं के कुप्रबंधन के कारण 50% याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होती है।

संविधान का संबंध :-

सूचना का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।

अधिनियम का कार्यान्वयन :-

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सूचना आयोगों को मिलकर काम करना चाहिए।

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम का अंतिम उद्देश्य एक ऐसे अभिज्ञ नागरिक वर्ग की अपेक्षा को पूर्ण करना है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो और साथ में लोक प्राधिकरणों के ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों की सृष्टि करनी है जो उक्त अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों के प्रति जागरूक हों। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सरकार, गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता और एक क्रियाशील सूचना आयोग के सहयोग से ही अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

"उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग"

14 सितंबर, २००5 को अस्तित्व में आया। यह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी है जिनका आशय एक अभिज्ञ नागरिक वर्ग की अपेक्षा को पूर्ण करना है, लोक प्राधिकरणों द्वारा रखे गये या उनके नियंत्रणाधीन सूचना की पारदर्शिता का संवर्धन और भ्रष्टाचार को रोकना तथा उनको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है।

भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अर्थात प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। पर सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिये यह अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिकें केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को एक नयी पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

➢ अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफरसन के अनुसार 'सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है"।

➢ इसी क्रम में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिये भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया।

मुख्य प्रावधान :➢

➢ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध करायी जाने की व्यवस्था की गयी है। यदि मांगी गयी सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

➢ इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उसे कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।

➢ प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय

सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।

→ इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षा (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जायेगा।

→ यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। यहा जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है।

→ इसके अन्तर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल है।

→ राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गयी है।

RTI अधिनियम के उद्देश्य:→

- पारदर्शिता लाना
- जवाबदेही तय करना
- नागरिकों को सशक्त बनाना
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाना
- लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

RTI की उपलब्धियाँ:→

- प्रसिद्ध 2G घोटाला: यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक RTI कर्मकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर इसके खिलाफ एक RTI दायर की।
- 2010 कॉमनवेल्थ गेम: एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा दायर एक RTI से पता चला था कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिये दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपये निकाले थे। साथ ही RTI से यह भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सभी मात्र कागजों पर ही थीं।

सूचना अधिनियम में हालिया संशोधन :→

बीते दिनों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया था, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों का मानना था कि इस कदम से सूचना एवं अधिकार कानून की मूल भावना ही खतरे में आ जायेगी

अधिनियम में मुख्य संशोधन

(क) संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जायेंगी।

(ख) RTI अधिनियम की धारा-13 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावली और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा।

संशोधन की आलोचना :→

कई RTI और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम की काफी

आलोचना की थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के संशोधन से केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण संबंधी शक्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है, जिसके प्रभाव से इस संभावना को और अधिक बल मिलता है कि इन पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में ज्यादा रुचि लेंगे, न कि आम नागरिकों के हितों के कार्यों में।

* राजस्थान का जन सूचना पोर्टल :

→ राजस्थान सरकार ने हाल ही में "जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna portal - JSP) की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकार तथा सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी को आम जनता तक पहुँचाना है।

→ जानकारों का कहना है कि यह पोर्टल सूचना के अधिकार (RTI) विशेषकर RTI अधिनियम की धारा (4) - जो कि सूचना के सक्रिय खुलासे या प्रकटीकरण से संबंधित है, को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

→ पारदर्शिता के साथ उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है और इस दृष्टिकोण से JSP अत्यंत महत्वपूर्ण व मूल्यवान है, क्योंकि यह राज्य सरकार को उन सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने की शक्ति रखता है जो पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं

का उपयोग करते हैं।

→ जन सूचना पोर्टल का विकास राजस्थान के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है।

→ इस पोर्टल पर राजस्थान सरकार के 13 विभागों की 23-24 प्रकार की जानकारियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।

→ इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विभागों की सूचना उपलब्ध करायी है।

* क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार :

→ सूचना तक पहुंच का अधिकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है जिससे उनका कल्याण संभव हो सके।

→ यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जाँच के दायरे में लाता है।

→ यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जाँच के दायरे में लाता है।

→ इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेही बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है।

→ यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक

classmate
Date 23/4/25
Page 11

गोपनीयता को हटाकर निर्णयन में सुधार करता है।

RTI के समक्ष चुनौतियाँ :-

- नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण व व्यवस्था बहुत कमजोर है।
- सूचना आयोगों को चलाने के लिये पर्याप्त स्टाफ का अभाव है।
- सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानूनों (जैसे : व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम) का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

सूचना का अधिकार V/S निजता का अधिकार :-

- सैद्धांतिक तौर पर सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक-दूसरे के पूरक होने के साथ ही एक दूसरे के विरोधी भी है।
- एक ओर जहाँ RTI सूचना तक पहुँच के दायरे को बढ़ाता है, वही निजता का अधिकार सूचनाओं की गोपनीयता पर बल देता है।

निष्कर्ष :-

RTI अधिनियम, 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि RTI तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक और संस्थानों को मिलकर

classmate
Date 24/4/25
Page 12

RTI अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़े।